(7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 564/2025

1 तुलसीराम पुत्र स्व0 श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 6 बीएचएम धोरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

2 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 6 बीएचएम धोरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-:वादीगण

बनाम्

1 जैतादेवी पत्नी स्व0 श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चक 6 बीएचएम धोरेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

2 रोशनी पुत्री स्व0 श्री रामकुमार पत्नी श्री सुनील जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 05.01.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि जहां तक दावा हाजा का सम्बन्ध व सरोकार है वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः-

रामकुमार पुत्र श्री मानाराम (फौत)
| - जैतादेवी (पत्नी)

तुलसी राम | सुरेन्द्र | रोशनी

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 1 सीएस जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 47/35 के प.न. 104/364 (33) किला नं0 16/1/.228, 16/2/.025, 17 से 20 कुल 1.265 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला तथा तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्लयुएम जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 75/4 के प.न. 118/368 (16) किला नं0 16 से 18, 19/1/.151, 21/1/.228, 22 कुल 1.391 हैक्टयर भूमि वादीगण के पिता श्री रामकुमार पुत्र श्री मानाराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दीयां सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री रामकुमार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता श्री रामकुमार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ना राम का दिनांक 10.10.2021 को देहान्त हो चुका है व श्री रामकुमार की मृत्यु के
ण व प्रतिवादीगण ही स्व0 रामकुमार के कानूनी व जायज वारिसान है व स्व0 रामकुमार
र्ज उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के हकदार है लेकिन
संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि में अपना मिलने वाला हक विरास्तन वादीगण के पक्ष में
राबर मौखिक तर्क किया हुआ है इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित
प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री रामकुमार के नाम दर्ज
नुमानगढ चक 1 सी एस जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 47/35 में दर्ज
65 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला व तहसील पीलीबंगा के चक 11 एम
म जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 75/4 में दर्ज कुल 1.391 हैक्टयर भूमि
ण बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/2-1/2 हिस्सा के हकदार खातेदार काश्तकार है व
सार राजस्व अभिलेख में अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।
ह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि का राजस्व
में वादीगण के नाम अमल दरामद करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे
र गत् सप्ताह मुकाम 1 सीएस तहसील व जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गये यही
वाद है।
यह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के
ार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का
2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद वादी मय शपथ-पत्र प्रस्तुत
र्ज है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः-
क) कि घोषणा फरमाई जावे कि तहसील हनुमानगढ चक 1 सीएस जमाबन्दी सम्वत्
-80 के खाता संख्या 47/35 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन
व तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्लयुएम जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या
में दर्ज कुल 1.391 हैक्टयर भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/2-1/2
के हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी
ता 2 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 द्वारा
में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा मुताबिक
पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित स्व0 रामकुमार के नाम दर्ज तहसील हनुमानगढ चक 1
स जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 47/35 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टयर कृषि
मय गैर मुमकिन खाला व तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्लयुएम जमाबन्दी सम्वत्
74-77 के खाता संख्या 75/4 में दर्ज कुल 1.391 हैक्टयर भूमि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष
बहिस्सा बराबर की भूमि हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने अपना मिलने वाला
विरास्तन तमाम का तमाम वादीगण के पक्ष में हक त्याग किया हुआ है जिससे उक्त वर्णित
भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/2-1/2 हिस्सा के हकदार खातेदार
श्तकार है जिसे पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते है व मुताबिक घोषणा व
जीनामानुसार वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली
अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति
राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार
र बाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(५)

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- तहसील हनुमानगढ चक ... जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 47/35 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टयर कृषि ... गैर मुमकिन खाला व तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्लयुएम जमाबन्दी सम्वत् ...-77 के खाता संख्या 75/4 में दर्ज कुल 1.391 हैक्टयर भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर ... प्रत्येक 1/2-1/2 हिस्सा के हकदार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार ... रिकार्ड में मृतक खातेदार रामकुमार का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम अमलदरामद ... जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि ... कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, ... आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै. ...र खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन ...। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा ... का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया ...र, सरे इजलास सुनाया गया।

...- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ